



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275545
CG-DL-E-18082026-275545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4350]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4530(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 0.905 किमी के NH148NA तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH148NA तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7				
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पूर्व)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH148NA के कि.मी 0 से कि.मी 0.905 तक	दिल्ली	साउथ ईस्ट	कालकाजी	<table><tr><td>1</td><td>मदनपुर खदर</td></tr><tr><td>2</td><td>जसोला</td></tr></table>	1	मदनपुर खदर	2	जसोला
1	मदनपुर खदर									
2	जसोला									

[फा. सं. NHAI/PIU-MATHURA/KALINDI-KUNJ/2026/LA-3a.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4530(E) .— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 0.905 of the NH148NA for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of DELHI

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH148NA in the State of DELHI.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Additional District Magistrate(S-E)	NH148NA KM 0 TO KM 0.905	DELHI	South East	Kalkaji	1 Madanpur khadar 2 Jasola

[F. No. NHAI/PIU-MATHURA/KALINDI-KUNJ/2026/LA-3a]

SHAIKH AMINKHAN, Director